

(10)

अध्ययन मंडल प्रबंधन विषय की बैठक


अध्ययन मंडल, प्रबंधन विषय की बैठक आज दिनांक 15/04/17 दिन शनिवार को उपरान्त 3:30 को कम्प्यूटर कक्षा में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित रहे:-

(1) डॉ. पुष्कर कुर्वे (अध्यक्ष)

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

प्रबंधन विभाग

पवित्र सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, ड.ग.



15/4/17

(2) प्रो. (डॉ.) ललित प्रकाश पट्टेरीया (सदस्य)

आचार्य

प्रबंधन अध्ययन विभाग

गुरुदासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर ड.ग.


15/4/17


(3) प्रो. (डॉ.) सुचिर कुमार शर्मा (सदस्य)

आचार्य

वाणिज्य विभाग

शा. जे. पी. वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

बिलासपुर, ड.ग.



15.4.17

(4) डॉ. एस. रूपेन्द्र राव (सदस्य)

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

मनोविज्ञान विभाग

पवित्र सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय ड.ग.


15/4/17


Dr. Anita Singh

Incharge NAAC Criteria-I

PSSOU, CG Bilaspur

7

बैंक की कार्यसूची

- 1) प्रबंधन संकाय के अंतर्गत संचालित Post Graduate diploma in Human Resource Management (PGDHRM) कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निश्चरित।
- 2) प्रबंधन संकाय के अंतर्गत संचालित Post Graduate diploma in Marketing Management (PGDMM) कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निश्चरित।
- 3) पंडित सुन्यरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के अध्यादेश 41 में संशोधन पर विचार।
- 4) प्रबंधन संकाय में प्रस्तावित निम्नलिखित विषयों के लिए नए अध्यादेश पर विचार।


- (A) Post Graduate diploma in Business Management (PGDBM)
- (B) Post Graduate diploma in Entrepreneurship Development (PG-ED)
- (C) Post Graduate diploma in Industrial Relation and Personnel Management (PGDIRPM)



- 1) प्रबंधन संकाय में शोध (Research) की गुणवत्ता पर चर्चा।
- 2) विभिन्न विषय के पाठ्यक्रम एवं प्रस्तावित अध्यादेश पर चर्चा।

बैंक में लिए गए निर्णय कार्यालय में कार्यालय अध्यादेश

कार्यसूची के क्रमांक (1) के संदर्भ में Post Graduate diploma in Human Resource Management (PGDHRM) के लिए निम्नलिखित विषय होंगे :-

Paper 1	Human Resource Management
Paper 2	Principles of Management
Paper-3	Industrial Relations and Labour welfare
Paper 4	Marketing Management and Managerial Economics
Paper 5	Business and Government


Dr. Anita Singh
 Incharge NAAC Criteria-13
 PSSOU, CG Bilaspur

 15/4/17 

1) PG Diploma in Human Resources Management कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया।

2) PG Diploma in Marketing Management (PGDMM) कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया।

3) अध्यादेश क्रमांक 41 में आवश्यक संशोधन के साथ आगामी कार्यवाही हेतु अकृशंसा की गई।

4) 1) PG Diploma in Business Management (PGDBM)
2) PG Diploma in Entrepreneurship Development (PGDED)

3) PG Diploma in Industrial Relations and Personnel Management (PGDIRPM) के लिए अध्यादेशों को आवश्यक संशोधन के साथ आगामी कार्यवाही हेतु अकृशंसा की गई।

5) प्रमुख विषय में शोध की गुणवत्ता पर चर्चा उपरान्त, निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए -

(1) Course Work के दौरान छात्र विशोधनों को आगमनर किया जा कर शोध छात्रों को Research Methodology पर व्याख्यान आयोजित किए जाए।

(2) Course Work के छात्रों को Computer based Analytical Methods का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।

(3) शोध छात्रों / शिक्षकों को शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

Dr. Anita Singh

Incharge NAAC Cell
PSSOU, UG Bldg

शोध छात्रों / शिक्षकों के देश के प्रतिष्ठित विस्थानों में जाने एवं वहाँ के शैक्षणिक/अनुसंधान कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। 27/5/2017

15/11/17

1) विश्व विषय द्वारा प्रस्तावित PG Diploma in Labour Laws and Labour Welfare कोर्स के पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र क्रमांक 04 तथा प्रश्नपत्र क्रमांक 05 को आवश्यक संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया।

अध्यापक के प्रति चन्चवद के बाद बैठक समाप्त हुई।

15/4/17
Dr. Sudhir Sharma

15/4/17

17/04/2017

S. R. S. 18/4/17

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU, CG Bilaspur

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक
दिनांक 09/05/2017
समय : 01:00 बजे दोपहर
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 32 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 09/05/2017 को दोपहर 01:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर – अध्यक्ष
2. डॉ. अनिता सिंह
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर – सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक) – सदस्य
4. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित) – सदस्य
5. डॉ. प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित) – सदस्य
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0) – सदस्य

RMS

[Handwritten signature]

7. डॉ. राज कुमार सचदेव
कुलसचिव - सचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय - सदस्य
नया रायपुर (छ.ग.)
2. प्रो. एस. के. जाधव
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी) - सदस्य
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
3. श्री शंशाक शर्मा
संचालक - सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)
4. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी
आचार्य - सदस्य
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
(माननीय कुलपति जी इग्नू द्वारा नामांकित)
5. डॉ. बी. डी. मिश्रा
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष - सदस्य
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
6. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक - सदस्य
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी के द्वारा नवनियुक्त सदस्य डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, डॉ. प्रकृति जेम्स एवं डॉ. प्रीति रानी मिश्रा सहित सभी सदस्यों का

RWD

[Handwritten Signature]

स्वागत किया गया। कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये -

प्रस्ताव क्रं 1 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 22 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय - विश्वविद्यालय विद्या परिषद् द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 अध्यादेश क्रमांक 37 Post Graduate Diploma in Guidance and Counselling में सुधार पर विचार।

निर्णय - विद्या परिषद् के द्वारा अध्यादेश क्रमांक 37 में सुधार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 3 छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 42 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - चर्चा उपरांत शीर्षक में पाठ्यक्रम शब्द तथा कंडिका 1 में पाठ्यक्रम शब्द विलोपित किया गया। कंडिका 8 में "आयोजित किये जा सकेंगे" के स्थान पर " आयोजित की जा सकेगी" किया गया।

इस पाठ्यक्रम के लिये रू. 3500/- वार्षिक शुल्क प्रस्तावित किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 4 श्रेणी/ग्रेड सुधार संबंधी प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 43 के अनुमोदन पर विचार।


निर्णय - चर्चा उपरांत कंडिका 3 को अध्यादेश का भाग न करने का निर्णय लिया गया बल्कि शुल्क के रूप में कार्य परिषद् में रखने का प्रस्ताव माना जाय। अध्यादेश में कंडिका 1 व 2 ही रखा जाये।

प्रस्ताव क्रं. 5 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 44 PG Diploma in Constitutional & Administrative Law (PGDCAL) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - शीर्षक में कंडिका 1 में PG Diploma in Constitutional & Administrative Law किया जाये। कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समकक्ष हो।





प्रस्ताव क्रं. 6 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 45 PG Diploma in Labour law & Labour Welfare के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 7 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 46 PG Diploma in Entrepreneurship Development के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 8 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 47 PG Diploma in Industrial Relations & Personnel Management के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।


प्रस्ताव क्रं. 9 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 48 PG Diploma in Administrative Law के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 10 सहायक प्राध्यापक के शैक्षणिक पद पर नियमित नियुक्ति हेतु चयन

समिति में माननीय कुलाधिपति के मनोनयन हेतु विषयवार (अंग्रेजी, वाणिज्य एवं शिक्षा) तीन-तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने पर विचार।



निर्णय – यह निर्णय लिया गया कि अकादमिक परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 10/11/2015 में विषयवार जिस सूची का अनुमोदन किया गया है उसे ही दिनांक 10/11/2018 (तीन वर्ष) तक के लिये अनुमोदित करते हुये माननीय कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये। इन विषयों हेतु यदि नया पैनल बनाना हो, या अन्य विषयों हेतु पैनल बनाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। वे आवश्यकतानुसार विषयों का पैनल बनाकर कुलाधिपति महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित करेंगे।

प्रस्ताव क्रं. 11 स्नातक स्तर के पाठयक्रम बी.ए. में वैकल्पिक विषय मनोविज्ञान, प्रबंधन एवं योग विज्ञान प्रारंभ करने पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 12 विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 13 अध्यादेश क्रमांक 41 में संशोधन पर विचार।

निर्णय – प्रस्तावित संशोधन मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 14 OER Policy for PSSOU के अनुमोदन पर विचार।


निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।


अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव क्रं. 15 विश्वविद्यालय के अकादमिक वर्ष 2017-2018 के अकादमिक कैलेंडर के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(राज कुमार सचदेव)
कुलसचिव / सचिव


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही-विवरण


कार्य परिषद् की 61 वीं बैठक
दिनांक 12/05/2017, दिन शुक्रवार
समय : 12:00 बजे पूर्वान्ह
स्थान - मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 61 वीं बैठक का कार्यवाही-विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्य परिषद् की 61 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 12/05/2017, दिन शुक्रवार पूर्वान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के सिरपुर प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति - अध्यक्ष
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. प्रो. देबाल कुमार सिंहरोय
आचार्य - सदस्य
समाजशास्त्र अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा मनोनीत)
3. डॉ. बी.एल. गोयल
अतिरिक्त संचालक - सदस्य
उच्च शिक्षा कार्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मनोनीत)
4. श्री एस.के. चक्रवर्ती
संयुक्त सचिव - सदस्य
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
5. श्री ओ. पी. सिंघानिया
62/6, नेहरू नगर, ईस्ट - सदस्य
अग्रसेन मार्ग, भिलाई
जिला-दुर्ग (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)
6. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह - सदस्य
विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)






7. डॉ. राजकुमार सचदेव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर - सचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. उपाध्यक्ष
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
2. उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
3. सचिव
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
4. श्री एस. एल. नायक
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित) - सदस्य
5. डॉ. एस. के. जाधव
प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य) - सदस्य
6. डॉ. एस. आर. पटेल
अधिष्ठाता
ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
बिलासपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य) - सदस्य

कार्य परिषद् की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई तथा आधे घंटे के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई। बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति जी के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गये -





- प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 59 वीं एवं 60 वीं (आपात) बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।
निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा कार्यवाही-विवरण को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा पालन-प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।
- प्रस्ताव कं 2 छत्तीसगढ़ संवाद से मुद्रित उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण देयक राशि रु. 17,78,700/- के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।
निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
- प्रस्ताव कं 3 कुलसचिव पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन को निरस्त किये जाने की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा सूचना ग्रहण की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी विज्ञापन एक वर्ष तक के लिये वैध रहे, विशेष परिस्थिति में कार्यपरिषद् किसी विज्ञापन की वैधता 6 माह के लिये बढ़ा सकती है।
- प्रस्ताव कं 4 पुनः नौकरी में बहाल करने संबंधी पत्र पर विचार - आवेदक श्री रामावतार माथुर, सहायक अध्ययन केन्द्र आरंग।
निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा आवेदन अस्वीकार किया गया।
- प्रस्ताव कं 5 एफडीआर के परिपक्वता होने पर नीति बनाये जाने पर विचार।
निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीकृत बैंक में या भारत सरकार एवं आरबीआई के बांड में निवेश किया जाये। विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी ऐसे निवेशों में हस्ताक्षर किये जाने हेतु अधिकृत होंगे।
- प्रस्ताव कं 6 चिकित्सा परिचर्या नियम में संशोधन पर विचार।
निर्णय - कार्यपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि विनायक नेत्रालय, बिलासपुर को CGHS रेट पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वचन पत्र मांगा जाये। उसके पश्चात् नेत्रालय को Empanel किया जाये। चिकित्सा परिचर्या नियम की कंडिका 3.3 में बच्चों के मामले में तीन जीवित बच्चों के स्थान पर दो जीवित बच्चे किया जाये।
- प्रस्ताव कं 7 विश्वविद्यालय में कार्यरत् एक समान पद के मानदेय में विसंगति के संबंध में विचार।
निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये मई, 2017 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव कं 8 विद्या परिषद् की 21 बैठक दिनांक 09/05/2017 के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन।

निर्णय - प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 9 नए अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं मान्यता अंतर्गत गठित "मान्यता समिति" के अनुशंसा पर विचार।

निर्णय - प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये निर्णय लिया गया कि अन्य महाविद्यालयों के सम्बद्धता का परीक्षण करा लिया जाये।

प्रस्ताव कं 10 पी.डब्ल्यू.डी. का विषय - सुपरविजन चार्ज 7 प्रतिशत से कम कर 2 प्रतिशत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा सूचना ग्रहण किया गया।

प्रस्ताव कं 11 विश्वविद्यालय में स्टूडियों के निर्माण होने तक आउट सोर्सिंग से कार्य कराये जाने पर विचार।

निर्णय - प्रस्ताव को सिद्धांतः स्वीकृत करते हुये निर्णय लिया गया कि वर्ष 2017-18 के लिये विस्तृत प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाये तथा स्वयं के स्टूडियों तैयार करने के लिये विश्वविद्यालय प्रस्ताव तैयार करें।

प्रस्ताव कं 12 विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-2016 के वार्षिक लेखा का अंकक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा आपत्तियों के निराकरण हेतु सी. ए. को निर्देशित किया गया कि नियत समय-सीमा में सभी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्तुत करेंगे। कार्यपरिषद् के सम्मानीय सदस्य श्री सिंघानिया जी इस कार्य में पर्यवेक्षण रखेंगे। वित्त अधिकारी समन्वयक का कार्य करेंगे।

पूरक प्रस्ताव


प्रस्ताव कं 13 छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर के देयक रु. 20,49,444/- के कार्योत्तर भुगतान स्वीकृति पर विचार।

निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।


अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव -


प्रस्ताव कं 14 विश्वविद्यालय में मानसेवी आधार पर विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके कार्य में उत्कृष्टता, प्रतिबद्धता एवं समर्पण को देखते हुये एक श्रेणी उपर कार्य करने की अनुमति देने पर विचार।





निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी मानसेवी कर्मचारियों के कार्यों की उत्कृष्टता, प्रतिबद्धता एवं समर्पण के आधार पर मूल्यांकन कराकर योग्य कर्मचारियों की सूची आगामी कार्यपरिषद् के बैठक में प्रस्तुत किया जाये। "ब" पर श्री संतोष कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती अनिता दुबे को मानसेवी कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करने की अनुमति का अनुमोदन किया गया।
बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(राजकुमार सचदेव) 12.5.17
कुलसचिव/सचिव


(बंश गोपाल सिंह) 12.5.17
कुलपति/अध्यक्ष